

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
आदेश


क. C/6220 /दो-15-28/87

जबलपुर दिनांक 28/08/2024

श्रीमति अनिता सिंह, उच्च न्यायिक सेवा की अधिकारी द्वारा तालिका के कॉलम नं. 01 में दर्शित तिथि (उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्ति का दिनांक(सीधी भर्ती)) के पूर्व एलएल0एम0 की उपाधि धारण किये जाने के फलस्वरूप म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा0क.1127/21-ब(एक)/2024, दिनांक 15.03.2024 (अंतिम नियम) के अंतर्गत उनके वेतन का निर्धारण निम्न तालिका के अनुसार किया जाता है:-

उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्ति का (सीधी भर्ती) दिनांक यूनिक कोड नंबर 430023823	प्राप्त वेतन	वेतनवृद्धि का दिनांक	निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1	2	3	4	5
24.05.2018	144840/-	-	144840 + * 13440 PP (* 03 Advance Increment for LL.M.)	24.05.2018
		24.05.2019	149190+13440(PP)	01.05.2019
		24.05.2020	153670+13440(PP)	01.05.2020
		24.05.2021	158280+13440(PP)	01.05.2021
		24.05.2022	163030+13440(PP)	01.05.2022
		24.05.2023	167920+13440(PP)	01.05.2023
		24.05.2024	172960+13440(PP)	01.05.2024


माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,


(राजेश कुमार शर्मा)
रजिस्ट्रार (एम.)

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन/नरसिंहपुर/ग्वालियर/बुरहानपुर/इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2 प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3 रजिस्ट्रार(एम), असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम) (लेखा/पेंशन) एवं सहायक सेवा पुस्तिका (राजपत्रित)/सहायक(पेंशन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4 रीडर टू रजिस्ट्रार(एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5 मेम्बर जी.आर.सी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं प्रेषित।
- 6 श्रीमति अनिता सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

नोट:-रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2021/953, दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।


रजिस्ट्रार (एम.)